

प्रेषक,

अधिकाषी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड प्रथम-इटावा ।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना निदेशालय
उ०प्र०, लखनऊ ।

पत्रांक 233 /नखप्रइ /नीलामी /दिनांक : 27.01.21

विषय:- जला हुआ पी०वी०सी० कोटेड तॉबे का तार की नीलामी के सम्बन्ध में ।
महोदय,

सार्वजनिक नीलामी दिनांक: 18-02-2021 की सूचना छ: प्रतियों में संलग्न करके इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न विज्ञप्ति को सभी दैनिक प्रमुख रूप से प्रकाशित होने वाले हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करें, जिसका प्रकाशन का क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश व अन्य में हो । विज्ञप्ति की सी०डी० भी पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नक:- छ: प्रतियाँ एवं सी०डी०

भवदीय

अधिकाषी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड-प्रथम, इटावा ।

पत्रांक: /न०ख०प्र०इ०/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य अभियन्ता, नलकूप (मध्य) सिं०वि० उ०प्र० लखनऊ ।
2. मुख्य अभियन्ता, (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) सिं०वि० उ०प्र० तेलीबाग, लखनऊ ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, इटावा ।
4. अधिकाषी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, औरैया ।
5. अधिकाषी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, फरुखाबाद ।
6. अधिकाषी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, कन्नौज ।
7. सहायक अभियन्ता प्रथम, नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा ।
8. अवर अभियन्ता (भण्डार) नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा ।
9. लेखाधिकारी /कैशियर, नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा ।
10. कम्प्यूटर सेन्टर, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

अधिकाषी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड-प्रथम, इटावा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड प्रथम—इटावा।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

निम्नलिखित सामान की नीलामी नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा के केन्द्रीय भण्डार एवं कार्यशाला परिसर, सिविल लाइन्स, नलकूप खण्ड प्रथम—इटावा में दिनांक 18-02-2021 को अपराह्न 12:00 बजे की जायेगी।

क्र० सं०	खण्ड का नाम	सामान का नाम	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत
1	नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा	जला हुआ पी०वी०सी० कोटेड तॉबे का तार	2350 कि०ग्रा०	876550.00

नीलामी की संक्षिप्त भाते निम्नवत् होंगी।

- नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनुमानित मूल्य रू० 8,76,550.00 का 2 प्रतिशत टोकन धनराशि रू० 17600.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक कार्यालय में जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा, जो अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा के पक्ष में देय होगा। केवल टोकन धारक ही नीलामी में भाग ले सकेंगे।
- टोकन धनराशि, नीलामी के दिनांक से 02 दिवस पूर्व कार्यालय में जमा करनी होगी। सामग्री का अवलोकन उसी दिवस में कार्य अवधि में किया जा सकता है।
- नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को नीलामी के समय पहचान पत्र तथा आयकर एवं व्यापार कर क्लियरेन्स की नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सामान की उपरोक्त मात्रा अनुमानित है तथा यह घट-बढ़ सकती है।
- सामान की नीलामी जहाँ है, जैसा है, के आधार पर की जायेगी तथा उच्चतम बोली दाता को जी०एस०टी०/वस्तु एवं सेवाकर नियमानुसार अलग से देना होगा।
- उच्चतम बोली बोलने वाले को सामान के मूल्य का 25 प्रतिशत नीलामी समाप्त होने के बाद अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास जमा करने होंगे, अन्यथा टोकन की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- नीलामी की अन्य विस्तृत शर्ते नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व बताई जायेगी।
- नीलामी के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरान्त ही भण्डार से सामग्री निर्गत की जायेगी।
- किसी भी विपरीत स्थिति में नीलामी की तिथि बढ़ाने अथवा निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उक्त के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम—इटावा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड प्रथम—इटावा